E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in
Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

# CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

*(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)*

"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

**CBSE/DIR(ART&I)/NED/2013/**

**दिनांकः 08 अगस्त, 2013**
**परिपत्र संख्या–अका॰ 54/2013**

**के॰मा॰षि॰बो॰ से संबद्ध**
**सभी संस्थानों के प्रमुख**

**विषयः राष्ट्रीय षिक्षा–दिवस 2013 समारोह**

**प्रिय प्रधानाचार्य,**

11 नवंबर, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में, 'राष्ट्रीय शिक्षा दिवस' के रूप में घोषित किया गया है। बोर्ड ने, उसके बाद से उनके जन्मदिवस पर शिक्षा के इस प्रख्यात विद्वान के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर, बोर्ड से संबद्ध विद्यालय सेमिनार, संगोष्ठियाँ, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिताएँ, कार्यशालाएँ एवं साक्षरता तथा शिक्षा के सभी पहलुओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता के महत्त्व पर रैलियों का आयोजन करते हैं।

मौलाना आज़ाद के अनुसार ''प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है जो कि उसे अपनी शक्तियों का विकास करने तथा एक पूर्ण मानव–जीवन जीने के लिए समर्थ बनाएगा''। छात्रों के बीच, इस जनोपकारी चिंतन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि इस दिन एक शिक्षक और एक छात्र को, आम जनता के लिए शिक्षा का प्रसार एवं लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में अनेक उल्लेखनीय योगदानों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष के विषय एवं अन्य रूपरेखाओं का विवरण यहाँ दिया गया हैः

**विषयः ''मानव अधिकार एवं सामाजिक समानता''**

**उद्देष्यः** ऐसे एक शिक्षक एवं एक छात्र को सम्मानित करना तथा उनका आभार प्रकट करना जिन्होंने समाज में हाशिए पर पड़े लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मीलों की दूरी तय की तथा समाज में उनके उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं।

**प्रतिभागीः**

विद्यालय द्वारा, ऐसे एक शिक्षक एवं एक छात्र को मनोनित किया जाएगा जो निरंतर एवं व्यापक रूप से मानवाधिकार एवं सामाजिक समानता से जुड़े रहे हों तथा अपने कार्यक्षेत्र में एक प्रत्यक्ष परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी रहे हों।

**संकेन्द्रिय क्षेत्रः** – निम्नांकित के माध्यम से समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डालना–

- वंचितों के लिए किया गया कार्य
- विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों के साथ किया गया कार्य
- पर्यावरण के मुद्दों का समाधान करने वाले कार्य
- वृद्धाश्रम में सहयोग करने वाले लोग
- ICT साक्षरता बढ़ाने वाले लोग
- लैंगिक मुद्दों के समाधान के लिए उल्लेखनीय कार्य
- कोई अन्य

**पद्धतिः**

1) विद्यालयों द्वारा CBSE वेबसाइट www.cbseacademic.in पर, 15 सितंबर 2013 अथवा पहले पंजीकरण किया जाए। यह पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है या फिर पंजीकरण प्रपत्र की एक डाउनलोड की हुई प्रति भरकर, संलग्नक A और B के साथ स्कैन करके, eo_ss@cbseacademic.in पर ईमेल से भेजी जा सकती है। प्रत्येक विद्यालय के द्वारा पंजीकरण प्रपत्र के साथ संसाधन शुल्क के तौर पर 500 रू॰ (प्रति विद्यालय 500 रूपये मात्र) 'सचिव के॰मा॰शि॰बो॰' को संबोधित करते हुए भेजा जाना चाहिए।
2) प्रतिष्ठित सदस्य दलों के द्वारा, प्रत्येक CBSE क्षेत्र से, प्रश्नावली एवं डिजिटल साक्ष्यों में भरे गए विवरणों के आधार पर, दो टीमों (प्रत्येक टीम में एक शिक्षक तथा एवं छात्र) का चुनाव किया जाएगा।
3) प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ चयनित समूहों को आखिरी दौर की बातचीत/प्रस्तुतियों के लिए, 11 नवंबर 2013 को दिल्ली में आमंत्रित किया जाएगा।
4) आखिरी दौर में, प्रतिभागियों द्वारा किए गए कार्यों की चार मिनट की प्रस्तुति तथा जजों के साथ उनकी पारस्परिक बातचीत शामिल होगी।
5) ये टीम समाज को दिए अपने योगदान के लिए सम्मानित किए जाएँगे, जिसमें प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं विद्यालय को उनके उल्लेखनीय कार्यों को सतत जारी रखने के लिए, प्रेरित करते हुए नकद धनराशि दी जाएगी।
6) आमंत्रित विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र को उनके चढ़ने के स्थान से लेकर दिल्ली तक के लिए (दोनों ओर का) द्वितीय श्रेणी के शयनयान का यात्रा भत्ता दिया जाएगा। प्रतिभागियों को दिल्ली में अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी।
7) आगे की जानकारी के लिए कृपया श्री संदीप सेठी, शिक्षा अधिकारी से 011–23217128 पर फोन से संपर्क कर सकतें हैं।

''इसके साथ–साथ ग्रामीण एवं अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों एवं कॉलेजों के सभी छात्रों को – चाहे उनके अध्ययन का विषय कुछ भी हो – भूमि पर कार्य करने के लिए अपने सामान्य शैक्षिक दिनचर्या का एक हिस्सा समर्पित करने के लिए प्रोत्सहित करना चाहिए। शहरों एवं कस्बों के विद्यालय एवं कॉलेजों को, मैं 'गाँवों के अभिग्रहण' का सुझाव दूँगा, जहाँ छात्र ग्रामीण जीवन के पूर्ण पुनर्निमाण के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं''।

**मौलाना अबुल कलाम आज़ाद**

भवदीया

**डॉ॰ साधना पाराषर**

**प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)**

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18– इन्स्टिटूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए.28ए कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.–110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह–शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अध्यक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने–अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

**प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)**